FORM NO. III

फर्द अहकाम

नियम 25

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमराना (अलवर)

लीलावती पुत्री बुधराम जाति अहीर निवासी काठुवास तह0 मांढण

बनाम

सरपंच ग्राम पंचायत काठुवास तह0 मांढण

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 5 जा0दी0 न0 344 सन्- 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	25.10.2023 आज यह पत्रावली मूल अपील के साथ पेश हुई। स्वंय अपीलान्ट उपस्थित आये। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्वंय अपीलान्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट का प्रकरण पृथम दृष्टया बनता है। सुविधा का संतुलन भी अपीलान्ट के पक्ष में साबित प्रतीत होता है। अतः रेस्पोडेन्टानको अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 33,34 वाके ग्राम मंगलपुर तहसील मांढण जिला कोटपुतली–बहरोड़ राजस्थान के मौके रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें इस संबंध में जो भी उज्र हो आप स्वंय या जरिये अधिवक्कता हाजिर अदालत आकर अपना जवाब पेश करें। रेस्पोडेन्टान जरिये नोटिस तलब हो रेस्पो0 यदि आगामी तिथि से पूर्व रजि0 नोटिस तलबाना पेश करने में विफल रहते हैं तो उक्त आदेश अपास्त माना जाएगा। पत्रावली वास्ते रजि0 तलबी दिनांक 29.11.2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़) 29-11-23 आज यह पत्रावली पेश हुई. रेस्पो० प्रार्थी वकील उपस्थित है. तलबी को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते रजि० तलबी दिनांक 31-24 को पेश हो। उप जिला कलैक्टर नीमराना (अलवर)	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
29.7.24 आज यह पत्रावली पेश हुई [illegible] के [illegible] उपस्थित है [illegible] को समय चाहते है। पत्रावली वास्ते [illegible] दिनांक 6.8.24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड) 6.8.24 आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन से विदित है चुकी है पत्रा० में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है अतः प्रकरण [illegible] पर [illegible] कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद तकमील [illegible] संलग्न मूल अभिलेख हो। उपखण्ड अधिकारी नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)	